Organising Committee, which is responsible for the conduct of the Asian Games 1982, has decided to sell daily tickets for separate events for each vanue of the game or sport.

(b) The Special Organising Committee has decided that there will not be any season ticket for any event.

(c) Does not arise.

(d) Does not arise.

कोयले की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में रद्द की गई रेल गाड़ियों की संख्या

802. श्री दया राम शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी रेल गाड़ियां रद्द की गई, और

(ख) इसके परिणामस्वरूप यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या प्रभावकारी कदम उठाये हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :(क) कोयले की कमी के कारण 15-11-81 को उत्तर प्रदेश में 38 जोड़ी सवारी गाड़ियां रद्द की गयी थीं। रेलों पर कोयले की स्टाक स्थिति में सुधार होने से इनमें से 10 जोड़ी गाड़ियां फिर से चलने लगी हैं।

(ख) रेलों और उद्योगों की सम्मिलित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में भाप कोयले की उपलब्धता काफी नहीं है तथा इसके परिणामस्वरूप उद्योगों को चालू रखने के लिए कभी-कभी रेलों को कुछ कम लोकप्रिय सवारी गाड़ियों को रद्द करने के लिए विवश होना पड़ता है। फिर भी, भाप कोयले की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कोयला उत्पादक प्राधिकारियों और कोयला विभाग के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जा सकता है ताकि सभी गाड़ियों को पुनः चलाया जा सके।

नेत्रहीन शिक्षित बेरोजगार युवकों द्वारा गिरफ्तारी दिया जाना

1803. श्री गुलाम मोहम्मद खान : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल ब्लाइण्ड यूथ एसोसिएशन के नेत्रहीन शिक्षित बेरोजगार युवकों ने उन्हें सरकारी नौकरियां देने सम्बन्धी अपनी मांग के समर्थन में 30 सितम्बर, 1981 को गिरफ्तारी दी थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नेत्रहीन युवकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :(क) और (ख). 30 सितम्बर, 1981 को नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन के दस नेत्रहीन व्यक्तियों ने भारतीय रिजर्व बैंक बिल्डिंग के सामने, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में 92/97 दिल्ली पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारी दी।

(ग) नेत्रहीन व्यक्तियों/नेत्रहीन युवकों सहित की शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु